

## कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

संख्या: कोविड-19/2021 368

दिनांक: 05 मई 2021

### आदेश

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या: 548/पाँच-5-2020, दिनांक: 14 मार्च 2020 के द्वारा महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) के कम में उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (सप्तम संसोधन) दिनांक: 31 मार्च 2021 विनियमावली, 2021 के द्वारा दिनांक: 30 जून 2021 तक या जब तक अगेत्तर आदेश नहीं दिये जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।

अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या: कोविड-19/2021/367, दिनांक: 05 मई 2021 के द्वारा जिला चिकित्सालय बाराबंकी के आंशिक भाग में एल-2 समकक्ष कोविड चिकित्सालय के रूप में संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं,

जिला चिकित्सालय बाराबंकी के आंशिक भाग में संचालित एल-2 समकक्ष कोविड चिकित्सालय में कोविड संक्रमित मरीजों को गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्न विवरण के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी दिनांक: 06 मई 2021 से 14 दिवस हेतु लगाई जाती है:-

Doctor Incharge	Sr.No.	EHMRS Code	Name of the Doctor	Mobile No.	Remark
Dr. Rajesh Kumar, Medical Supp. 9473948288	1		Dr.Deepak Kumar,MBBS	9935394112	CHC Gungter
	2		Dr.Kripa Sanker Maurya	9919158356	CHC Tickaitnagar
	3		Dr.Vinood Kumar,MS	7887219250	District Hospital
	4		Dr.Virendra Singh,DA	9415578227	District Hospital
Staff Nurse	1		Renu Kumari	7651820067	District Hospital
Staff Nurse	2		Poonam	9429264637	District Hospital
Staff Nurse	3		Priyanka Gautam	9695038767	District Hospital
Staff Nurse	4		Kanti Devi	7754068977	District Hospital
Staff Nurse	5		Sunita Gautam	9198989961	District Hospital
Staff Nurse	6		Sangeeta Kumari	9076937498	District Hospital
Pharamasist	1		Sri Rajesh Kumar	9450193795	District Hospital
Ward Boy	1		Mavish Kashyap	9918577076	District Hospital
Ward Boy	2		Rijwan	9125939708	District Hospital
Ward Boy	3		Sarita Singh	7271850383	District Hospital
Sweeper	1		Umesh	9335267004	District Hospital
Sweeper	2		Rinku	8090719501	District Hospital
Sweeper	3		Pankaj Kumar	9935614004	District Hospital


उपरोक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे एल-2 समकक्ष कोविड चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय आंशिक भाग में कार्य सम्पादन हेतु अपनी योगदान की आख्या नोडल अधिकारी डा0 राजेश कुमार, चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बाराबंकी को तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

डा0 एस0के0सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बाराबंकी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल कोविड संक्रमित एवं प्रिजेम्टीव कोविड मरीजों का गुणवत्तापरक उपचार अपने निर्देश करते हुए चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सकों/वरिष्ठ परामर्शदाता से आवश्यक परामर्श के साथ-साथ जिला चिकित्सालय की पैथॉलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल जाँचे इत्यादि भी सुनिश्चित करायें।

डा0वीरेन्द्र सिंह, निश्चेतक, जिला चिकित्सालय बाराबंकी विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के अनुरूप कोविड गम्भीर मरीजों को वेन्टिलेटर के माध्यम से उपचारित करना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी को इस निर्देश के साथ कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बाराबंकी की मॉग के अनुरूप आवश्यक लॉजीस्टिक जो जिला चिकित्सालय में उपलब्ध न हो तत्काल कोविड चिकित्सालय हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु दिये गये निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा। साथ ही सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जायेगी।

  
(डा0 राजेश सिंह)  
जिलाधिकारी  
बाराबंकी।

संख्या: कोविड-19/2020 17010

दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित-:

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये उ0प्र0 लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 अयोध्या मण्डल अयोध्या।  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को उक्त कोविड चिकित्सालय में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हेतु।
6. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
8. उप जिला अधिकारी, बाराबंकी नवाबगंज बाराबंकी।
9. संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी को अनुपालनार्थ।

  
जिलाधिकारी  
बाराबंकी